Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **अलवर में बाल विकास परियोजना मुण्डावर की दो महिला सुपरवाईजर क्रमशः 26 हजार एवं 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 अप्रेल, गुरूवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अलवर–द्वितीय इकाई द्वारा आज दो अलग–अलग कार्यवाही करते हुये श्रीमती सुशीला देवी महिला सुपरवाईजर, कार्यालय समेकित बाल विकास परियोजना, मुण्डावर, जिला अलवर को **26 हजार रूपये एवं** श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला सुपरवाईजर, कार्यालय समेकित बाल विकास परियोजना, मुण्डावर, जिला अलवर को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अलवर–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि एस.एच.जी. द्वारा सप्लाई पोषाहार बिलों के किये गये भुगतान में से 15 प्रतिशत राशि एवं अन्य सहयोगी को किये गये भुगतान में से भी 15 प्रतिशत कमीशन इकट्ठा कर देने का दबाव बनाकर श्रीमती सुशीला देवी महिला सुपरवाईजर द्वारा **26 हजार रूपये** एवं श्रीमती कृष्णा शर्मा महिला सुपरवाईजर, कार्यालय समेकित बाल विकास परियोजना, मुण्डावर, जिला अलवर द्वारा **15 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी के जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत** के सुपरवीजन में एसीबी की अलवर–द्वितीय इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री परमेश्वर लाल** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री कुलवीर सिंह जाट निवासी ग्राम पोस्ट रानोठ, तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल महिला सुपरवाईजर, कार्यालय समेकित बाल विकास परियोजना, मुण्डावर, जिला अलवर को परिवादी से **26 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

इसी प्रकार एक अन्य कार्यवाही में **पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद** ए.सी.बी सीकर द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती कृष्णा शर्मा पत्नी श्री हरिओम शर्मा निवासी बी.एस.नगर, कंगाल हाता कटी घाटी, अलवर हाल निवासी अरावली विहार, अलवर हाल महिला सुपरवाईजर, कार्यालय समेकित बाल विकास परियोजना, मुण्डावर, जिला अलवर को परिवादी से **10 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी उक्त महिला सुपरवाईजर द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान **4 हजार रुपये** परिवादी से रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।